प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ

सेवा में,

समस्त–

1– मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

संख्या 5028/जी0415/2002 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2005

विषयः चकबन्दी वादों के निस्तारण को प्रभावी बनाने हेतु उच्च स्तरीय कार्य–योजना समिति की संस्तुतियों एवं सुझावों को कार्यान्वित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1243–डब्लू–1–12/04–जी–2002/97 राजस्व अनुभाग–12 दिनांक 18 अक्टूबर,2005 के अन्तर्गत उच्च स्तरीय कार्य–योजना समिति द्वारा चकबन्दी वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अल्पकालीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में संस्तुतियां संलग्न कर भेजी है जिनमें उल्लिखित कतिपय निम्न बिन्दुओं के कियान्वयन पर बल दिये जाने की अपेक्षा की गयी है–

शासनादेश संख्या–1(3)74–रा–8/87 दिनांक 29–11–74, संख्या–1(3)/85–90 रा–8, दिनांक 23–9–1987 तथा शासनादेश संख्या–1(3)/35/90–रा–8 दिनांक 5–8–88 द्वारा जिलाधिकारियों को दस निगरानियां तथा अपर जिलाधिकारी व मुख्य राजस्व अधिकारी को जनपद में 50 निगरानियां प्रति माह निस्तारण के निर्देश हैं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य राजस्व अधिकारी निर्धारित निगरानियों का निस्तारण प्रतिमाह नहीं कर रहे हैं। इन अधिकारियों द्वारा नियत मानक में निगरानियों के निस्तारण पर बल दिया जाय जिससे निगरानियों का निस्तारण त्वरित गति से हो सके।

चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत कार्य की प्रगति में सुधार लाने के लिये मण्डलायुक्त स्तर पर मण्डल के जनपदों के सभी अधिकारियों की प्रतिमाह बैठक मण्डलायुक्त स्तर पर होती है। इसमें चकबन्दी कियाओं की प्रगति के सम्बन्ध में एक एजेण्डा रखते हुये चकबन्दी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली जाय, जिससे चकबन्दी की प्रगति की नियमित समीक्षा हो सके। इससे चकबन्दी कार्य की प्रगति व गुणवत्ता सुधरेगी।

जनपद के जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी जो प्रत्येक माह जनपद स्तर पर स्टाफ की मीटिंग करते हैं, उसमें चकबन्दी कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में एक एजेण्डा रख कर चकबन्दी कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाय जिससे जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व उप संचालक चकबन्दी भी उपस्थित रहें, जिससे चकबन्दी कार्य की प्रगति व गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो सके।

अतः समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि उच्च स्तरीय समिति की उक्त संस्तुतियों एवं सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही की प्रतिमाह निदेशालय स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जायेगी, अतः मासिक प्रगति रिर्पोट में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिमाह निस्तारित वादों के निस्तारण की आख्या भी भेजी जाय।

भवदीय,

(पी0के0 झा)

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

(पी0के0 झा)

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।